न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—42 / 2020 (2020 / 00118) वाद पत्र

उनवान

1—सुवा पिता गांगा रावल (जोगी) निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—रूपा पिता केशा कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. व 136 एल.आर.एक्ट.

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — वादी अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद — प्रतिवादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—30.11.2021

वादी के खातेदारी अधिकारो एवं कब्जे काश्त की साबिक कृषि आराजियात ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा के बैरून हल्का आबादी में साबिक खाता संख्या 226 में अकिंत साबिक आराजी संख्या 422 / 28 रकबा 5 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 5 बीघा भूमियां स्थित है। उक्त भूमि वादी को दिनांक 05.01.1976 को राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई जिस पर वादी वक्त आवंटन से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड वादी के नाम पर दर्ज है तथा विगत 45 वर्षो से वादी ने साबिक नक्शे अनुसार पत्थर की दीवार बना रखी है। वादी मौके पर साबिक नक्शे के अनुरूप कब्जे अनुसार ही काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रमाण में साबिक नक्शा ट्रेस की नकल वादपत्र के साथ पेश की है। तहसील रायपुर का भू प्रबन्ध होने पर ग्राम कलालखेड़ी का भू प्रबन्ध हुआ जिससे उक्त वर्णित साबिक आराजियात के नवीन नम्बर 200 रकबा 0.16 है0 आराजी संख्या 201 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.54 है0 कायम किये गये। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी, नवीन नक्शा ट्रेस मिलान क्षैत्रफल के साथ पेश की है। यह कि भूप्रबन्ध के दौरान भूप्रबन्ध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियो ने वादी की साबिक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर का रकबा तथा नवीन नक्शे का रकबा 1.08 हैक्ट, कायम करना चाहिए था परन्तु वादी की नवीन आराजी सं. 200 व 201 रकबा 1.08 है0 के बजाय जमाबंदी व नवीन नक्शे में 0.54 हैक्ट, कम करते हुए वादी की कब्जे शुदा भूमि के नवीन नम्बर 199 रकबा 0.48 हैक्ट बनाते हुए बिलानाम कर दिया व वादी की भूमी का 0.06 हैक्ट रकबा विपक्षी संख्या एक की आ.स. 216 में मिला दिया जो गलत होकर अवैध है। भूप्रबन्ध विभाग के अधिकारियो एवं कर्मचारियों को बिना किसी विधिक आदेश के वादी की भूमि का रकबा नवीन नक्शे एवं जमाबंदी में कम करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादी मौके पर साबिक नक्शे एवं रेकॉर्ड के आधार पर आ. सं. 199 रकबा 0.48 हैक्ट व आ.सं. 216 के 0. 06 हैक्ट व आ.सं. 200, 201 को मिलाते हुए कुल रकबा 1.08 है0 पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वादी ने आपनी भूमि के चारो तरफ पत्थर की दीवार बना रखी हैं जिसे करीब 45 वर्ष हो गया है। भूप्रबन्ध विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियो का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध है जिससे वादी की नवीन आराजी सं. 200, 201 का रकबा व आ.सं. 199 व आ.सं. 216 के 0.06 हैक्ट रकबा को मिलाते हुए वादी की भूमी का रकबा 1.08 है0 नवीन जमाबंदी व नक्शे करने की इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिकी जारी फरमाया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:04:02 IST
Reason: SelfAttested

वादी को आ.सं. 199 रकबा 0.48 हैक्ट व आ.सं. 216 के 0.06 हैक्ट का खातेदार काश्तकार घौषित फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। वादी आ.सं. 216 के 0.06 हैक्ट तथा आ.सं. 199 रकबा 0.48 हैक्ट व आ. सं. 200 रकबा 0.16 हैक्ट. आ.सं. 201 रकबा 0.38 हैक्ट कुल किता 4 कुल रकबा 1.08 हैक्ट पर वक्त आवंटन से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं जिसे करीब 45 वर्ष हो चुके हैं तथा वादी ने अपनी आराजी के चारों तरफ पत्थर की दीवार बना रखी हैं तथा अपनी आराजी में चाह का निर्माण कर रखा हैं जिससे वादी को वादग्रस्त भूमी का खातेदार काश्तकार घौषित फरमाया जाकर वादी द्वारा खोदे गए कुएं को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने की घौषणात्मक डिक्री जारी फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। वादी की साबिक आराजियात के नवीन नम्बर एवं रकबा कायम करते समय भुप्रबंध विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा वादी की नवीन आराजी सं. 200 व 201 का रकबा 1.08 है० के बजाय कम करते हुए वादी के कब्जे काश्त की आ.सं. 199 रकबा 0.48 हैक्ट को बिलानाम कर देने तथा वादी की भूमी का 0.06 हैक्ट. रकबा प्रतिवादी संख्या एक की आ.सं. 216 में मिला देने से प्रतिवादीगण द्वारा आये दिन वादी को उसके कब्जे काश्त की आराजी सं. 199 रकबा 0.48 है. व आ. सं. 216 के 0.06 हैक्ट से बेदखल करने का प्रयास कर रहें हैं जिससे बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। अत श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की इन्द्राज दुरुस्ती की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जाए कि ग्राम कलालखेड़ी की नवीन आराजी सं. 200 रकबा 0.16 हैं. आ.सं. 201 रकबा 0.38 है. आ.सं. 199 रकबा 0.48 है. आ.सं. 216 के 0.06 है. कुल किता चार कुल रकबा 1.08 है. का वादी खातेदार काश्तकार हैं तदानुसार वादी की भूमी का रकबा नवीन जमाबंदी व नक्शे में 1.08 हैक्ट करने तथा उक्त भूमी में वादी द्वारा खोदे गए कुए को राजस्व रेकॉर्ड दर्ज करने की घौषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जाकर तदानुसार नवीन नक्शे एवं जमाबंदी में अमल दरामद करने का आदेश प्रतिवादी संख्या दो को प्रदान फरमाया जाए। साथ ही बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी सादिर फरमाई जाए की प्रतिवादीगण वादी की ग्राम कलालखेड़ी में स्थित आ.सं. 200 रकबा 0.16 है. आ.सं. 201 रकबा 0.38 है. आ.सं. 199 रकबा 0.48 है. आ.सं. 216 के 0.06 है. कुल किता चार कुल रकबा 1.08 है. से वादी को बेदखल नहीं करे तथा वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे यदि दौराने वाद प्रतिवादी द्वारा वादी को उसके कब्जे काश्त की आराजी सं. 199 व आ.सं. 216 के 0.06 है. से बेदखल कर दिया जाए तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के कब्जा पुनः वादी को दिलाया जाए।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 13.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 फॉरमल पक्षकार है जिन्होन मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:04:02 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत [illegible] र्ट में अंकन किया कि वादी द्वारा मौके पर बताये गये कब्जे के खस[illegible] के बिलानाम खसरा नम्बर 199 रकबा 0.48 है० प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] की खातेदारी खसरा नम्बर 216 रकबा 0.13 है० स्वयं वादी के नाम [illegible] रकबा 0.16 है० व 201 रकबा 0.38 है० कुल किता 4 कुल रकबा 1.15 है० पर बाड़ लगाकर कब्जा कर रखा है तथा खसरा नम्बर 199 बिलानाम में 0.01 है० में उत्तरी पश्चिमी कोने पर एक नवीन चाह खोद रखा है जो

पक्का बना हुआ होकर सिंचाई के उपयोग में आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 रूपा पिता केशा कलाल के कब्जे में बिलानाम खसरा नम्बर 202 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 203 रकबा 0.10 है0 उसकी अन्य खातेदारी भूमि के साथ कब्जे में है बाड़ लगाकार कब्जा कर रखा है। वादी द्वारा खसरा नम्बर 199 व 216 में पीली मिट्टी भराकर कृषि योग्य बनाकर कृषि उपयोग में ले रहा है।

वादी अधिवक्ता द्वारा एक पक्षीय बहस की गई मौके पर कब्जे अनुसार मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए वाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि वादी के नाम साबिक आराजी 422/28 रकबा 5 बीघा भूमि वादी को वर्ष 1976 को आवंटन हुई जो जरिये नामान्तकरण 606 दिनांक 06.05.1993 को वादी को खातेदारी अधिकार दिये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद के समर्थन मे वादी के बयान कराये गये। नवीन भू प्रबन्ध के दौरान साबिक आराजियात 422/28 रकबा 5 बीघा के नवीन आराजी संख्या 200, 201 बनाये जिनका रकबा 0.54 है0 ही होता है जबकि साबिक रकबे के अनुपात में नवीन रेकार्ड में 1.08 है0 भूमि दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु मौका रिपोर्ट के अनुसार आराजी संख्या 199 रकबा 0.48 है0, आराजी संख्या 200 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 201 रकबा 0.38 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.02 है0 भूमि पर वादी काबिज है जिसमें आराजी संख्या 199 बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड है इसके अतिरिक्त आराजी संख्या 216 रकबा 0.13 है0 भूमि पर भी वादी काबिज है किन्तु उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी के रूप में दर्ज है और इसके बजाय प्रतिवादी संख्या 1 अन्य राजकीय बिलानाम भूमि पर काबिज है इस प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा आराजी संख्या 216 से वादी को बेदखली सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी तो उस दौरान वादी चाराजोही करने में स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा की वादी को साबिक आराजी संख्या 422/28 के रकबे के अनुपात में नवीन रेकार्ड में रकबा कम दर्ज हुआ है इसके बदले कमी रकबे के रूप में नवीन आराजी संख्या 199 रकबा 0.48 है0 भूमि वादी की खातेदारी घोषित की जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 के इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 199 रकबा 0.48 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विपक्षी वादी को उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करावे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई दखल नही करें। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:04:02 IST
Reason: SelfAttested

30.11.2021

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–42/2020 (2020/00118) वाद पत्र

उनवान

1–सुवा पिता गांगा रावल (जोगी) निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–रूपा पिता केशा कलाल निवासी कलालखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट. व 136 एल.आर.एक्ट.

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 के इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 199 रकबा 0.48 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विपक्षी वादी को उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करावे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई दखल नही करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 30.11.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

30.11.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:04:02 IST
Reason: SelfAttested